

प्रेषक,

डा० अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2026

विषय:- जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रिम्बर्समेन्ट मोड में धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या-1230/ई-2/2026-27(बजट)/फिन-3, दिनांक 02 जुलाई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत रिम्बर्समेन्ट मोड में राज्यांश रु० 28566.552 लाख (रूपये दो अरब पच्चासी करोड़ छ्छठ लाख पचपन हजार दौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल जीवन मिशन हेतु अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अन्य बहुल ग्राम एवं बल्क वाटर सप्लाई योजनाओं पर रिम्बर्समेन्ट मोड में भुगतान हेतु मांगी गयी धनराशि रु 28566.552 लाख के सापेक्ष रु० 14283.276 लाख (रूपये एक अरब बयालिस करोड़ तिरासी लाख सत्ताईस हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और फाइनैशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
- (4) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (7) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

- (10)स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (11)धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12)स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- (13)एसओएनओ स्पर्श प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति/क्रियान्वयन सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन द्वारा पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2025, 30 जनवरी, 2025, 10 जुलाई, 2025, 23 जुलाई, 2025, 26 सितम्बर, 2025, 14 अक्टूबर, 2025, 10 दिसम्बर, 2025 तथा 02 जनवरी, 2026 द्वारा निर्गत किये गये सुसंगत दिशा निर्देशों एवं तत्संबन्धी अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14)स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2026/बी-1-1434/दस-2026-231/2026, दिनांक 18 जून, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-01-जल जीवन मिशन (के.50/रा.50-के.)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-E-2-51-X-2026-27-दिनांक: 14-7-2026 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 21-07-2026
12:31:25
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 35/2026/1475 (1)/छिहत्तर-1-2026-1612341, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) अनु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, चतुर्थ तल, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
- (4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

डा० अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2026

विषय:- जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रिम्बर्समेन्ट मोड में धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या-1230/ई-2/2026-27(बजट)/फिन-3, दिनांक 02 जुलाई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत रिम्बर्समेन्ट मोड में राज्यांश रु० 28566.552 लाख (रूपये दो अरब पच्चासी करोड़ छह लाख पचपन हजार दौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल जीवन मिशन हेतु अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अन्य बहुल ग्राम एवं ब्लक वाटर सप्लाई योजनाओं पर रिम्बर्समेन्ट मोड में भुगतान हेतु मांगी गयी धनराशि रु० 28566.552 लाख के सापेक्ष रु० 14283.276 लाख (रूपये एक अरब बयालिस करोड़ तिरासी लाख सत्ताईस हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
- (4) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरान्त ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (6) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (7) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- (13) एसओएनओ स्पर्स प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति/क्रियान्वयन सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन द्वारा पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2025, 30 जनवरी, 2025, 10 जुलाई, 2025, 23 जुलाई, 2025, 26 सितम्बर, 2025, 14 अक्टूबर, 2025, 10 दिसम्बर, 2025 तथा 02 जनवरी, 2026 द्वारा निर्गत किये गये सुसंगत दिशा निर्देशों एवं तत्संबन्धी अद्यतन शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2026/बी-1-1434/दस-2026-231/2026, दिनांक 18 जून, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-01-जल जीवन मिशन (के.50/रा.50-के.)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-E-2-51-X-2026-27-दिनांक: 14-7-2026 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या: 35/2026/1475 (1)/छिहत्तर-1-2026-1612341, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) अनु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, चतुर्थ तल, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
- (4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 21-07-2026
17:33:01
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।